

156/25

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नादौती जिला करौली

दिनांक:- 3-10-2025

क्रमांक:-

"ग्रामीण सेवा शिविर"

कैम्प कोर्ट.....रत्नावती.....

2025/442

पटवारी/हल्का/खसरा/खसरा/खसरा नाम.....राज. सरकार

अन्तर्गत राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136

निर्णय दिनांक:- 3-10-2025

पटवारी हल्का रत्नावती, भू. अभिलेख निरीक्षक ब.डा.गौड़ की रिपोर्ट एवं तहसीलदार नादौती की अभिशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत राजस्व ग्राम खेडामी के खाता संख्या 35 में निम्नानुसार शुद्ध किये जाने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र.सं.	राजस्व ग्राम का नाम	खाता संख्या	खसरा नम्बर	अशुद्ध प्रविष्टि	शुद्धि उपरान्त प्रविष्टि	वि. विवरण
01.	<u>खेडामी</u>	<u>35</u>	<u>27</u>	<u>झाडी</u>	<u>सिन्डूरी</u>	
02.			<u>38</u>			
03.						
04.						

4
उपखण्ड अधिकारी
नादौती

कैम्प कोर्ट.....रत्नावती.....

दिनांक:-

क्रमांक:-

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01 तहसीलदार नादौती को निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद कर पालना रिपोर्ट भिजवावें।

02. पटवारी, पटवार हल्का.....रत्नावती.....।

03. प्रार्थी.....।



4
उपखण्ड अधिकारी
नादौती